न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 67/2017 एल.आर. एक्ट

1 मूर्ति श्री ठाकुर जी जरिये अध्यक्ष श्री ठाकुर जी महाराज मंदिर समिति कालीबंगा मुखराम पुत्र श्री भादर राम जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री दौलतराम जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मु. मोहरा पत्नी देवीचन्द जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। (मृत्यु होने पर आदेश दिनांक 09.11.2016 को नाम कलमजन किया गया)
2. रामचन्द्र पुत्र देवीचन्द जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री जसराम जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. हरलाल पुत्र श्री जसराम जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5 भंवरलाल पुत्र श्री जसराम जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6 उग्रसेन पुत्र श्री जसराम जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7 श्रीमती सावित्री पत्नी गजानन्द जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8 अर्जन पुत्र गजानन्द जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
9 मोहन पुत्र गजानन्द जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
10 भीमसैन पुत्र गजानन्द जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
11 श्रीमती सरस्वती पत्नी कुष्ण कुमार जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
12 अशोक पुत्र कृष्ण कुमार जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
13 हसंराज पुत्र कृष्ण कुमार जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
14 जगदीश पुत्र कृष्ण कुमार जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
15 रामेश्वर पुत्र कृष्ण कुमार जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
16 जुगल किशोर पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

17 मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
18 जयनारायण पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
19 श्रीमती सावित्री देवी पत्नी गजानन्द जाति ब्राहम्ण, निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
20 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री राजेन्द्र सिह शिमला – अभिभाषक अपीलान्ट
2. एस.एन.तिवाड़ी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 2 ता 19

निर्णय दिनांकः 15–02–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 29–04–2013 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ में रेस्पोडेन्ट मु. मोहरा वगैरह ने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इन्तकाल संख्या 196 दिनांक 02.04.2003 चक 46 एस.एस. डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा के विरूद्व अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के पूर्वजो की मौरूसी भूमि गांव कालीबंगा में थी। अपीलान्ट के पूर्वज गांव के पूजारी थे तथा गांव में स्थित मन्दिर ठाकुरजी की सेवा–पूजा व अर्चना करते थे। सेवा–पूजा की एवज मे तत्कालीन बीकानेर रियासत ने अपीलांट के पूर्वजो की उक्त भूमि का लगान माफ बएवज खिदमत मन्दिर किया तथा भूमि रजिस्टर माफियात् मे अपीलान्ट के पूर्वजो के नाम माफी मन्दिर के रूप मे दर्ज हुई। यह भूमि कथित रूप से मन्दिर ठाकुरजी की मौरूसी अथवा खातेदारी भूमि नही थी। कथित आदेश दिनांक 26.03.2003 के आधार पर प्रश्नगत भूमि को मन्दिर ठाकुरजी महाराज के नाम दर्ज करने से पूर्व हमारे को सुनवाई का अवसर नही दिया, तथा अपील को स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 196 दिनांक 02.04.2003 को निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 29.04.2013 द्वारा रेस्पोडेन्ट मु. मोहरा वगैरह की अपील

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 196 दिनांक 02.04.2003 को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये। अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 29.04.2013 विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो पर अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुवे बहस के दौरान कंहा कि अपीलांट श्री ठाकुर जी महाराज मंदिर समिति का अध्यक्ष एवं उपासक है जो गत काफी अर्सा से मन्दिर की देखभाल करते है एवं ठाकुर जी महाराज की पूजा अर्चना की व्यवस्था करते है। मूर्ति ठाकुर जी के धारण की व मालिकाना हक–हकूक की एक कृषि भूमि वाके कालीबंगा खसरा नम्बर 172 तादादी 30.12 बीघा वर्तमान मे चक 46 एस.एस.डब्ल्यू प.न. 64/319 मु.नं. 10 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 है, पं. नं. 69/319 मु. नं. 11 के किला नं. 5,6,15,16,25 की 1.518 है, कुल तादादी 7.843 है जिससे होने वाली आय से मूर्ति श्री ठाकुर जी की पूजा सेवा की व्यवस्था बीकानेर राज्य के समय की जाती है। गांव कालीबंगा जागीर का गांव नही था बल्कि खालसा का गांव था जिसमे चौधरी नियुक्त होता था। रेस्पोडेन्ट एवं उनके पूर्वजो ने कभी भी मन्दिर की पूजा नही की, पूजा की व्यवस्था गांव के चौधरी के द्वारा की जाती थी। रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. भैराराम, चून्नीलाल पिसरान रिड़मलराम ने संवत् 2018 मे राजस्व रिकॉर्ड में पूजारी के स्थान पर अपना नाम का अंकन करवा लिया। संवत् 2018 से पूर्व कही भी राजस्व रिकॉर्ड अथवा अन्य किसी भी रिकॉर्ड में पूजारी का अंकन नही था। यदि रेस्पोडेन्ट के पूर्वज पूजारी होते तो तत्कालीन बीकानेर राज्य द्वारा पूजारी के पक्ष में मोहर छाप चिठ्ठी जारी की जाती । किन्तु रेस्पोडेन्ट एवं उनके पूर्वजो के पास ऐसा कोई दस्तावेज नही है। रेस्पोडेन्ट के पूर्वज जागिरदार नही होने के बावजूद मन्दिर की भूमि को अपनी खुद काश्त दर्ज होना जाहिर कर राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत जाकर जिला कलक्टर (जागीर) गंगानगर से पत्रांक 85 दिनांक 26.03.66 को प्राप्त कर लिया जो विधि विरूद्व है। उसी आदेश की आड़ मे अतिरिक्त कलेक्टर (जागीर) गंगानगर से

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 26.05.1969 को खातेदारी हक प्राप्त कर लिये ऐसा आदेश नलीटी है व प्रारंभ से ही शून्य है। जबकि किसी भूमि को संवत् 2012 के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन के आधार पर ही, यदि जागीरदार होता, तो खुद काश्त की घोषित की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट ने संस्था श्री ठाकुर जी महाराज मन्दिर समिति गांव कालीबंगा को आदेश जैर अपील मे पक्षकार नही बनाया गया जो कि एक आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट सं. 17 मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल अपीलान्ट है एवं अपील मे मियाद में छूट प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। साथ ही यही मांगीलाल रेस्पोडेंन्ट बनवाकर मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुर जी महाराज काली बंगा की ओर से वाद मित्र की हैसियत से उपस्थिति दर्ज करवाता है। मांगीलाल ने कभी भी मूर्ति श्री ठाकुर जी की पूजा व सेवा नही की। मूर्ति श्री ठाकुर जी महाराज शास्वत नाबालिग की श्रेणी मे आती है जिसके विरूद्व वाद अथवा अपील जरिये वाद मित्र के प्रस्तुंत किया जा सकता है। नाबालिक की भूमि ट्रास्फर नही की जा सकती है। रेस्पोडेन्टगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष प्रस्तुत अपील मे जरिये पूजारी शब्द का अंकन किया, पूजारी के नाम का अंकन नही किया ताकि किसी को भी उपस्थित कर सके, और उन्होने मांगीलाल की उपस्थिति दर्ज करवाकर दिनांक 29.04.2013 को आदेश जैर अपील पारित करवा लिया। एक ही व्यक्ति मांगीलाल अपीलान्ट एव रेस्पोडेन्ट बनकर पैरवी की है जो विधि विरूद्व है। नामान्तरणकरण सं. 196 तहसीलदार पीलीबंगा के आदेश की पालना मे दर्ज हुआ है एवं तहसीलदार पीलीबंगा ने जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 26.03.2002 की पालना मे जारी किया था। रेस्पोडेन्ट ने उक्त मूल आदेश को आज तक चैलेज कर निरस्त नही करवाया, जब तक मूल आदेश निरस्त नही हो जाता तब तक इन्तकाल को निरस्त नही किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की जिसे अन्दर मियाद शुमार करने में भूल की है। रेंस्पोडेन्ट ने मियाद में छूट प्राप्त हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि अपीलान्ट को नोटिस नही दिया बल्कि पुराने अभिलेखानुसार ही रकमराज जमा करवाते आये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील मे राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिनियम 1952 के प्रावधानो की व्याख्या करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ का आदेश दिनांक 29.04.2013 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेंट नं. 2 ता 19 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कर कंहा कि आराजी जैर अपील रेस्पोडेन्टान के पूर्वजो की खुदकाश्त की भूमि थी इस कारण जागीर रिज्यूम होने के बाद रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 26.03.1966 व 26.05.1969 की पालाना मे खातेदार धोषित किया गया। रेस्पोडेन्ट के पूर्वज आराजी जैर अपील पर सम्वत् 2010 से खातेदार चले आ रहे है लेकिन रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना इन्तकाल संख्या 196 मन्दिर के नाम दर्ज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ के संमक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अपील अदालत ने स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 196 निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल कर दी। जिसकी द्वितीय अपील अपीलान्ट द्वारा मियाद बाहर पेश की गई हे। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मियाद बाहर हुई अपील में देरी को कन्डोन करने के जो कारण लिखे है वो संतोषप्रद नही है। अपीलान्ट का जैर अपील से कोई संबध नही रहा है लेकिन रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने की नियत से तथाकथित श्री ठाकुर जी महाराज मन्दिर समिति बनाई गई है। आदेश जैर अपील राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य मे पारित किया गया है। इसलिए अपीलान्ट का अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई नही है। अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर गंगानगर के आदेश दिनांक 26.03.1966 व अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगानगर के आदेश दिनांक 26.05.1969 की कोई अपील प्रस्तुत नही की है उक्त आदेश अन्तिम आदेश हो चुका है। अतः उक्त तथ्यात्मक, कानूनी स्थिति के मघ्य नजर अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने से तथा लोकस स्टेन्डाई प्राप्त नही होने से विशेष कॉस्त लगाकर खारिज फरमाई जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है :–

1. अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य कथन यह हे कि यह भूमि मन्दिर श्री ठाकुरजी की खातेदारी भूमि थी। गांव कालीबंगा जागीर का गांव नही था बल्कि खालसा का गांव था। रेस्पोडेन्ट एवं उनके पूर्वजो ने कभी भी मन्दिर की पूजा नही की, पूजा की व्यवस्था गांव के चौधरी के द्वारा की जाती थी।
2. रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक का मुख्य कथन यह कि यह भूमि मन्दिर श्री ठाकुरजी की खातेदारी भूमि नही थी। रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो की खुदकाश्त की भूमि थी।
3. अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपने निर्णय में सही विवेचना करते हुऐ लिखा है कि मन्दिर माफी की भूमि पुनः मन्दिर के नाम दर्ज नही जा सकती बल्कि यह भूमि ऐसे माफीदारो की निरन्तर खातेदारी के रूप में दर्ज रहेगी। अतः अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 29–04–2013 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। इसके अलावा यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है, विलम्ब का कोई युक्ति युक्त कारण दिये बिना देरी की अवधि को माफ नही किया जा सकता । इस प्रकार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचे कि यह अपील मियाद बाहर मानते हुऐ तथा गुणावगुण पर भी खारिज की जाती है, तथा अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 29–04–2013 यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–02–2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

15/2/2021.

(सुनीता चौधरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर